Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

समकालीन भारत के विशिष्ट बालकों में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता और चुनौतियाँ

(Utility and Challenges of Inclusive Education for Special Children in Contemporary India)

प्रियंका देवी (शोध-छात्रा)
शिक्षा शास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 6, Issue 3
Page Number : 14-21

Publication Issue :
May-June-2023

Article History
Accepted : 01 June 2023
Published : 10 June 2023

सारांश (Abstract) :

प्रस्तुत शोध पत्र में समकालीन भारत के विशिष्ट बालकों में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता और चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण करने की चेष्टा करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी विकलांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पायी है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। प्रस्तुत समस्या के आधार पर शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है । प्रस्तुत अध्ययन में लखनऊ जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है । अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की समावेशी शिक्षा के शैक्षिक अभिरुचि को जानने के लिए उद्देश्यपरक विधि का उपयोग किया गया है । इसके लिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के 100 छात्र एवं छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि के द्वारा किया गया है । उपकरण के रूप में शैक्षिक अभिरुचि के लिए डॉ. काजी गौस आलम एवं डॉ राम जी श्रीवास्तव द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है ।प्रस्तुत शोध पत्र में विशिष्ट बालकों के समावेशी शिक्षा की उपयोगिता एवं उसकी चुनौतियों का तथ्यात्मक एवं संख्यात्मक वर्णन किया गया है। इसमें अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकृतियों एवं असमानता से बचने की बात करते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गयी है। जिससे विकलांग बालक अपने आपको समाज का एक कटा हुआ भाग न समझ कर समाज का हिस्सा ही समझे, इसके साथ ही विद्यालय एवं समाज के लोग भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करें। विभिन्न शोध अध्ययनों, सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाए जिससे उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनको देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा सके।

प्रमुख प्रत्यय/शब्दावली: समावेशी शिक्षा, साक्षरता दर, विकलांगता, समावेशी शिक्षा की उपयोगिता, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना:

समावेशी शिक्षा का अर्थ है—सामान्य बालकों तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के मध्य ऐसा तालमेल कायम करना जिससे दोनों प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाया जा सके। इसी भेदभाव रहित, एकीकरण करने और तालमेल को समावेशन की संज्ञा दी गई है । इसका उद्देश्य निःशक्त बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। समावेशन में विस्तृत अर्थ में अभिभावक, समुदाय, शिक्षा प्रशासक आदि भी समाविष्ट हो जाते हैं। प्रो. एसके. दुबे के शब्दों में ‘‘समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय,

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है।" समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रबंधन तथा कक्षा प्रबंधन का समावेशन की अवधारणा के अनुरूप होना आवश्यक है।

शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है "बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है।" वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा के स्कूलों में पठन-पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसके तहत स्कूलों में पठन-पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधारहित वातावरण का निर्माण कार्य भी शामिल है। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिये पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ-साथ मानसिक मंदता और बाधिरंधता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में काफी कठिनाई होती है। माता-पिता या अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है, जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा महसूस करते हैं। परिणामस्वरुप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। इसलिए ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेशन किया जाना अति आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनायी जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक-अक्षमता, भाषा-संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य- समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा जब 1994 में सलामांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता (स्पेशल नीड्स एजुकेशन एसेस एँड क्वालिटी) का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि "प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रुचियाँ, योग्यता और सीखने की आवश्यकतायें अनोखी होती हैं।" इसलिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सलामांका वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि 'हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाए रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।' डाकर सेनेगाल (2000), में आयोजित विश्व शिक्षा मंच (वर्ल्ड एजुकेशन फोरम) पर भी शिक्षा में समावेश की बात दोहराई गई। डाकर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि 'किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे है।' विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों के दूर-दराज और अलग-अलग समुदायों के तथा शिक्षा से वंचित नगरीय व दूसरे लोगों का समावेश वर्ष 2015 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए (यूनेस्को 2000). अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन विकास कार्यक्रमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कोई भी देश 'समावेशी शिक्षा' को कार्य रूप दिए बगैर अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता है।

समावेशी शिक्षा, शिक्षा के संबंध में नीति और अभ्यास दोनों स्तरों पर एक वास्तविक परिवर्तन को दर्शाती है। शिक्षार्थियों को इस प्रणाली के केंद्र में रखा जाता है, जिससे उसकी सीखने की विविधता को पहचानने, स्वीकार करने और जवाब देने में सफलता हासिल की जाए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है इसलिए इस शिक्षा को नीति स्तर पर समर्थित करने, लक्ष्य रखने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्यधारा परिस्थिति में सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना तथा पूरे विद्यालयी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने, स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक उपायों को प्रदान करना है। समस्त शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को आवंटित सामान्य वित्तपोषण को समावेशी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, इसमें शिक्षार्थियों की विफलता की स्थिति में विद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन की सहायता भी शामिल है। इसके अलावा इसमें अधिक गहन समर्थन की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर अधिक धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए अंतिम दृष्टि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उम्र के सभी शिक्षार्थियों को उनके स्थानीय समुदाय में अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ सार्थक उच्च गुणवत्ता वाले अवसर प्रदान किए जाएँ।

साहित्यिक सर्वेक्षण :

यूरोपियन एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन (2001) ने 'इंक्लूसिव एजुकेशन एँड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस' नामक शोधकार्य प्रकाशित किया, इसमें विभिन्न देशों के समावेशी शिक्षा से संबंधित शोधों को शामिल किया गया। मार्टसन एण्ड मैगनूसन (1991) ने 'को-आपरेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट' (सी.टी.पी.) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेशन देने से उनकी उपलब्धि पर

सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम्प्स, बारबेट, लियोनार्ड एवं डेलक्वाद्री (1994) ने 'क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग' (सी.डब्ल्यू.पी.टी.) विषय पर 'आत्मकेन्द्रित एवं गैर-आत्मकेन्द्रित' छात्रों को लेकर अध्ययन कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया किया कि- आत्मकेन्द्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी.डब्ल्यू.पी.टी. के उपयोग बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए। फुस, माथेस एवं साइमन्स (1997) ने 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' (पी.ए.एल.एस.) की प्रभावशीलता को अधिगम अक्षमता (लर्निंग डिसेबिलिटी), गैर-अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि (नॉन- लर्निंग डिसेबिलिटी बट लो परफॉरमेंस), और सामान्य उपलब्धि (एवरेज एचीवर) पर देखा, जिसमें इन समस्त छात्रों को हर रोज सामान्य बच्चों के साथ जोड़ी बनाकर ऊँची आवाज में अध्ययन करना पड़ता था, निष्कर्ष से पता चला कि अधिगम अक्षमता, गैर-अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया। स्टीवेन एण्ड स्लेवीन (1994) ने 'को-आपरेटिव लर्निंग एप्रोच' का उपयोग विकलांग एवं गैर-विकलांग विद्यार्थियों पर किया जिसमें उनको दूसरे सहपाठियों के साथ कहानी को मौन रूप से और फिर बोलकर पढ़ने को दिया गया, साथ ही उनमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करायी गयी। निष्कर्ष में यह पाया गया कि सह-अधिगम उपागम विकलांग एवं गैर-विकलांग दोनों विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने में बेहतर सहायता करता है। इवांस एवं स्लेविन (1997) ने न्यूयार्क में विकलांग एवं गैर-विकलांग विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार पर 'कोलाबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग' (सी.पी.एस.) का प्रभाव देखा और बताया कि सी.पी.एस. शारीरिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिससे उनका व्यवहार अत्यधिक सामाजिक हो जाता है। ऐरेना मोजर एवं उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 10 वर्ष के शोध के बाद यह पाया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखकर सहयोगी अधिगम (को-आपरेटिव लर्निंग) कराने से समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर सहयोग का कार्य करती है। दोनोंह्यू, एवं बोमन (2014) ने 'द चैलेंजेज ऑफ़ रीयलाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन साउथ अफ्रीका' में अपने शोध अध्ययन के बाद वहाँ की शिक्षा समावेशी शिक्षा स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि सभी के लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर ऑल) के काफी समय बीत जाने के बाद भी विकलांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण की संभावना कम है। साउथ अफ्रीका में विकलांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में कई बाधाएँ हैं। अतः विकलांग छात्रों को जितनी जल्दी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा उतनी जल्दी वे समाज के लिए उत्पादक बन सकते हैं। मिल्स, एवं निधि (2008) ने 'द एजुकेशन फॉर ऑल एँड इंक्लूसिव एजुकेशन डिबेटः कानफ्लिक्ट कॉण्ट्राडीक्सन ऑफ आपर्च्यूनिटी' नामक शोध विषय की सहायता से यह बताया कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करना है, जिससे समस्त बालक शिक्षा में भाग ले सके। समावेशी शिक्षा समाज के लिए अपने सामाजिक संस्थानों और संरचनाओं को गंभीर रुप से जानने का एक अवसर प्रदान करती है।

शोध का शीर्षक : शोध अध्ययन का शीर्षक" **समकालीन भारत के विशिष्ट बालकों में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता और चुनौतियाँ** (Utility and Challenges of Inclusive Education for Special Children in Contemporary India) **है।**

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य : शोध का उद्देश्य निम्न है।

1. माध्यमिक स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि का अध्ययन करना ।
2. माध्यमिक स्तर के छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि का अध्ययन करना।

परिकल्पना : शोध की निम्नलिखित परिकल्पना है।

1. माध्यमिक स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य सार्थक अन्तर है।
2. माध्यमिक स्तर के छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य सार्थक अन्तर है।
3. माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य सार्थक अन्तर है।

शोध विधि :

प्रस्तुत समस्या के आधार पर शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श:

प्रस्तुत अध्ययन में लखनऊ जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को जनसंख्या माना गया है। अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की समावेशी शिक्षा के शैक्षिक अभिरुचि को जानने के लिए उद्देश्यपरक विधि का उपयोग किया गया है। इसके लिए माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 के 100 छात्र एवं छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि के द्वारा किया गया है।

उपकरण :

उपकरण के रूप में शैक्षिक अभिरुचि के लिए डॉ. काजी गौस आलम एवं डॉ राम जी श्रीवास्तव द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि :

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण आदि सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तो का विश्लेषण एवं व्याख्या :

माध्यमिक स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव का विश्लेषण एवं व्याख्या :

सारणी संख्या, 01

माध्यमिक स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव का गुणांक :

समूह	सख्यां (N)	df
छात्र	50	0.328

व्याख्या :

तालिका संख्या एक के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव की गणना की गई है। जिसमें आर का मान 0.328 प्राप्त हुआ जो कि 48 स्वतंत्राश (df) के लिए .05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 0.273 से अधिक है अर्थात् अंतर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा का प्रभाव शैक्षिक अभिरूचि पर पड़ता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।

माध्यमिक स्तर के छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव का विश्लेषण एवं व्याख्या :

सारणी संख्या, 02

माध्यमिक स्तर के छात्राओं समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव का गुणांक :

समूह	सख्यां (N)	df
छात्राएं	50	0.360

व्याख्या :

तालिका संख्या दो के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव की गणना की गई है। जिसमें आर का मान 0.360 प्राप्त हुआ जो कि 48 स्वतंत्राश (df) के लिए .05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 0.273 से अधिक है अर्थात् अंतर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्राओं में समावेशी शिक्षा का प्रभाव शैक्षिक अभिरूचि पर पड़ता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।

माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव का विश्लेषण एवं व्याख्या :

सारणी संख्या, 03

माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में समावेशी शिक्षा के प्रति शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव का गुणांक :

समूह	सख्यां (N)	df
छात्र-छात्राएं	100	0.284

व्याख्या :

तालिका संख्या तीन के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शहरी छात्रों के समाज और संस्कृत और शैक्षिक अभिरुचि के मध्य प्रभाव की गणना की गई है। जिसमें आर का मान 0.284 प्राप्त हुआ जो कि 98 स्वतंत्राश (df) के लिए .05 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 0.273 से अधिक है अर्थात् अंतर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। अतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं में समावेशी शिक्षा का प्रभाव शैक्षिक अभिरूचि पर पड़ता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।

समावेशी शिक्षा की उपयोगिता :

विकलांग बालक अपने आपको दूसरे बालकों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विकलांगो को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रुप से प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे प्रत्येक बालक यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से कमजोर नही है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है।

विकलांग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक गुणों, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, आदि गुणों का विकास होता है। निःसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं खर्चीली है, इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं जबकि दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने के लिए अन्य बड़े स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है जैसे- प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। विकलांग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है।

विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं। विकलांग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतया समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। भारत में सामान्य शिक्षा के व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी चाहिए जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। उपरोक्त तथ्यों से यह बात उभरकर सामने आता है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समस्त बालको के लिए अत्यंत आवश्यक है।

1. **कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था:** निःशक्त छात्रों के लिए कक्षा में बैठने का उपयुक्त स्थान होना चाहिए ताकि वे निर्विन शिक्षा प्राप्त कर सकें। कमजोर दृष्टि तथा कमजोर सुनने की क्षमता वाले छात्रों को कक्षा में सामने की बेंचों पर बैठाना चाहिए ताकि वे शिक्षक तथा श्यामपट (ब्लैकबोर्ड) के नजदीक हों। पैरों से बाधित बालक के लिए सुविधाजनक टेबल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। पैरों से बाधित बालक की वैशाखी तथा ट्रायसिकल की कक्षा तक आने के लिए तथा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा में हवा तथा प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
2. **कक्षा में अनुशासन तथा नियम पालन:** कक्षा प्रबंधक के रूप में शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा के छात्र शाला व कक्षा के नियमों का पालन करें। नियम भंग या अनुशासन भंग करने वाले छात्र को मारने या सजा (शारीरिक या मानसिक दंड) देने के स्थान पर छात्रों में स्वानुशासन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो इसका प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। कक्षा में निःशक्त बालकों से छेड़छाड़ मजाक या भेदभाव न हो इसका ध्यान शिक्षक को रखना होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में कक्षा शिक्षण पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः कक्षा प्रबंधन में अनुशासन व नियमपालन महत्त्वपूर्ण है।
3. निःशक्त बालकों की समस्याओं का हल: समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा निःशक्त बालक एक साथ पढ़ते हैं। कभी–कभी विशेष बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याएं कक्षा–शिक्षण के समय सामने आती हैं। जैसे संस्कारविहीन बस्तियों से आने वाले छात्रों का चोरी करना, झगड़ा करना, शरारत करना, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर न देना, कक्षा से गोल

मारना, अनुपस्थित रहना, झूठ बोलना, पढ़ाई में ध्यान न देना इत्यादि (हालांकि सामान्य छात्र भी ऐसी समस्या कक्षा में करते पाए जाते हैं) ऐसी स्थिति में शिक्षक को सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर समस्या की पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जब ऐसा बालक अच्छा व्यवहार करे तब उसकी प्रशंसा कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

4. **कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण:** कक्षा में सामान्य व विशेष छात्रों में भेदभाव न हो। निःशक्त छात्रों की सहायता उनके समीप बैठने वाले संगी साथी करें। अधिगम प्रक्रिया में दोनों प्रकार के छात्र सहभागी हों। निःशक्त बालक के प्रति शिक्षक व सामान्य छात्रों की संवेदनशीलता हो। यदि धीमी गति से सीखने वाले या अधिगम बाधित छात्र को कोई बात समझ में न आई हो तो शिक्षक उसे बार–बार बताएं। कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र को भी ऐसे बालकों की सहायता हेतु तैयार करें। शिक्षक निःशक्त छात्रों को अभिप्रेरणा दें। निःशक्त बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप कक्षा शिक्षण हो। ये सब बातें कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करती हैं।
5. **विशेष बालकों पर विशेष ध्यान :** वैसे तो समावेशी शिक्षा सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के बालकों की शिक्षा से संबंधित होती है, परन्तु विशेष बालक अपनी विशेष आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त विशेष ध्यान की अपेक्षा करते हैं अतः कक्षा शिक्षण में शिक्षकों को इन विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जैसे मंदबुद्धि या धीमे अधिगमकर्ता बालकों को विषयवस्तु की पुनरावृत्ति से पढ़ाना या कम दृष्टि वाले बालक के निकट बैठने वाले संगी साथी को उसकी सहायता करने हेतू तैयार करना। कक्षा प्रबंधन में विशेष बालकों के हितार्थ ये कार्य भी अपेक्षित हैं–

i.श्रवण बाधित बालक को चित्र, आकृति, शब्द, इशारे के द्वारा समझाना उसकी सहायता के लिए एक नोट करने वाले छात्र को बैठाना, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग करवाना।

1. कम दृष्टि वाले बालक हेतु 18 से 24 पाइंट टाइप पुस्तक की व्यवस्था करना, उसके लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करना
2. अस्थिबाधित छात्र को उठने खड़े होने में होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए उसके लिए एक सामान्य संगी साथी की सहायता हेतु व्यवस्था करना,
3. धीमी गति से सीखने वाले छात्रों हेतु विषयवस्तु को छोटी–छोटी इकाइयों में विभाजित कर पढ़ाना, विशिष्ट कक्षा व विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना।

6. **शिक्षण–अधिगम सामग्री में समावेशन:** शिक्षण हेतु सहायक सामग्री चित्र, चार्ट, ग्राफ के निर्माण एवं प्रयोग में शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। सामान्य छात्र सहायक शिक्षण सामग्री को स्वयं देख–सुनकर आसानी से समझते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन में शिक्षक को उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए | शिक्षण सामग्री का निर्माण छात्र की कक्षा के स्तर तथा छात्र की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों के हितार्थ सहायक शिक्षण सामग्री का बड़े आकार का होना आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ :

किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है, समावेशी शिक्षा में बालकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएँ, साधारण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र व विचित्र होती है। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या है, और एक कक्षा में अत्यधिक विविधता भी शिक्षकों के उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के शिक्षक जब हताशा में अप्रासंगिक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है। कुछ मामलों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना उन्हें 'मंद अधिगम' की ओर ले जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब हो जाती है जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को दण्डित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से विकलांग बच्चे हाशिये पर जा सकते हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय भी जिम्मेदार है जो शिक्षकों की भर्ती, वित्तपोषण एवं संरचना में सुधार के अभियान में महती भूमिका निभाता है।

कई बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, पर्याप्त परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़कें और परिवारों के लिए संबद्ध लागत विकलांग लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा के डर के कारण यदि उनके माता-पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से बहिष्कृत हो जाती हैं। माता-पिता एवं छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में शौचालय तक विकलांग बच्चों के पहुँच का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता है तो उसके उपस्थित होने की संभावना कम ही है। यहां तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए शुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो तो उसे बनाए रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहां स्कूलों में शौचालय को विकलांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है वे स्कूल विकलांग लड़के व लडकियों को न रखने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टॉफ नहीं है जो बच्चों को वाशरूम तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में पानी व स्वच्छता संबंधी समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है।

सुझाव:

1. विद्यालय में शौचालयों तक पहुंच समस्त विद्यार्थियों के लिये आसानी से शुलभ होना चाहिए।
2. समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ, शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देगी।

3. समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम पढ़ने, लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए।
4. स्कूल में अति समावेशी वातावरण की नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अतः इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए।
5. समावेशी बालकों के शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
6. आधुनिक शैक्षिक तकनीकों ने ऐसी विधियों, तकनीकों एवं उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है। अतः विकलांग बालकों के लिए उचित शैक्षिक तकनीकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
7. समावेशी बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है किंतु यह समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विकलांग बालकों को रोजगारपरक काम-धंधों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. समावेशी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था हो जिससे घर से स्कूलों तक आसानी से पहुँचा जा सके।
9. कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र-शिक्षक अनुपात का कम होना एक बड़ी समस्या है, अतः हमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
10. इन बालकों के माता-पिता व शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. आहूजा, आर (2015). सामाजिक समस्याएँ. (द्वितीय संस्करण). जयपुरः रावत पब्लिकेशन.
2. अल्फ्रेडो, जे. आर्टिल्स (2006). लर्निंग इन इंक्लूसिव एजूकेशन रिसर्चः री-मीडिएटिंग थ्योरी एँड मेथड्स विथ ए ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा. वॉल्यूम (30). अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन.
3. आइन्स्कोव, मेल., टोनी बुथ एवं डायसन, एलन (2003). अंडरस्टैंडिंग एँड डेवलपिंग इन्क्लुसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल. मैनचेस्टरः टीचिंग एँड लर्निंग रिसर्च प्रोग्राम.
4. ठाकुर, यतींद्र (2016-17). समावेशी शिक्षा. मेरठः अग्रवाल पब्लिकेशन.
5. डिसेबल पर्सन इन इंडियाः ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल (2016). मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एँड प्रोग्राम इंम्प्लीमेंटेशन. जी.ओ.वी. (http// www.mospi.gov.in).
6. एजुकेशन फॉर ऑलः टूवर्ड्स क्वालिटी विथ इक्विटी (2016). एम.एच.आर.डी. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एँड एडमिनिस्ट्रेशन. (http://www.nuepa.org)
7. एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स (2016). एम.एच.आर.डी. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एँड लाइटरेसी. न्यू दिल्ली. एलीमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया (2015-16). ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बेस्ड ऑन यू-डाइस डाटा. न्यू दिल्लीः नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एँड एडमिनिस्ट्रेशन. (http://www.nuepa.org)
8. दोनोंह्यू, डोना एँड बोमन जुआन (2014). दी चैलेंजेज ऑफ रीयलाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन साउथ अफ्रीका.साउथअफ्रीकनजर्नलऑफएजुकेशन.34(2).(http://www.sajournalofeducation.co.za).
9. नारंग, एम. के. एवं अग्रवाल, जे. सी (2016-17). समावेशी शिक्षा. मेरठः अग्रवाल पब्लिकेशन.
10. निरुपमा (2010). नारीः शिक्षा साधन और स्वास्थ्य. नई दिल्लीः अनुपम प्रकाशन.
11. पावड़े, सतीश एवं कुमार, विरेन्द्र (2017) स्त्रीः छवि और यथार्थः वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति समस्याएँ और सुझाव. अमरावतीः पायगुण प्रकाशन.
12. भार्गव, राजश्री (2016). समावेशी शिक्षा. आगराः राजश्री प्रकाशन.
13. मेइजर, सी. जे. डब्ल्यू (2001). इंक्लूसिव एजुकेशन एँड इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस. यूरोपियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन. (Web: http://www.european-agency.org).
14. मिल्स, सूसी एँड सिंगल निधि (2008). द एजुकेशन फॉर ऑल एँड इंक्लूसिव एजुकेशन डिबेटः कानफ्लिक्ट कण्ट्राडीक्सन ऑफ आपर्च्यूनिटी? मैनचेस्टरः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन.
15. लाल, रमन बिहारी (2016.17). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठः रस्तोगी पब्लिकेशन.

16. लाल, रमन बिहारी (2014). भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ. मेरठः रस्तोगी पब्लिकेशन.
17. शर्मा, सुषमा (2004). शिक्षक-प्रशिक्षण लेखमालाः एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा के प्रसार के उपाय. दिल्लीः ऑल इंडिया कन्फेडरेशन आफ दी ब्लाइंड.
18. सक्सेना, एन.आर. स्वरुप (2013). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत. मेरठः आर लाल बुक डिपो.
19. सिंह, निशांत (2009). भारतीय महिलाएँ एक सामाजिक अध्ययन.(प्रथम संस्करण). दिल्लीः ओमेगा पब्लिकेशन्स.